न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/178

नरेन्द्र आत्मज कैलाश चन्द जाति अहीर निवासी ग्राम फावा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामदयाल आत्मज चतुर्भुज जाति अहीर निवासी ग्राम फावा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा पिनकोड नं0 326518
2. शोभाराम आत्मज नानूराम जाति अहीर निवासी ग्राम फावा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा पिनकोड नं0 326518
3. जगदीश आत्मज कैलाश चन्द जाति अहीर निवासी ग्राम फावा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा पिनकोड नं0 326518
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–

1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, रेस्पो. 1 की ओर से।
3. श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 2, 3 की ओर से।

निर्णय दिनांक: 28.02.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 140/2012 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि वादी ग्राम फावा, तहसील रामगजमण्डी, जिला कोटा का स्थायी निवासी है तथा वादी के शामलाती खाते की कृषि आराजी जिसका खाता सख्या नया 32 व पुराना 28 की खसरा नम्बर 73 का रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 का रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नम्बर 77 का रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 का रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 158 का रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 161 का रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 का रकबा 0.74 हैक्टर,

खसरा नम्बर 163 का रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 164 का रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 216 का रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 231 का रकबा 0.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 284 का रकबा 0.92 हैक्टर, व खसरा नम्बर 342 का रकबा 2.19 हैक्टर कुल कीता 13 कुल रकबा 7.37 हैक्टर, वाके ग्राम फावा, पटवार हल्का खेड़ारूद्ध, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा में स्थित हैं में वादी का 1/2 किस्सा हैं। वाद पत्र के मद सख्या में अकित आराजीयात वादी के पिता व उनके भाई नानूराम के सामलाती खाते की आराजी हैं। वादपत्र में सजरा परिवार अंकित किया। वादी व प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी कम 1 वादी का चचेरा भाई है व प्रतिवादी कम 2 व 3 प्रतिवादी कम 1 के भाई मृतक कैलाश चन्द के पुत्र हैं। भँवरी बाई बेवा नानूराम, कमला बाई बेवा कैलाश चन्द, मजू पुत्री कैलाश चन्द, तथा बदाम बाई, सावित्री व ललता पुत्रियाँ नानूराम को इस दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि इन्होंने अपने हिस्से की आराजी को जयें रिलीज डीड, शोभाराम पुत्र नानूराम व जगदीश, नरेन्द्र पुत्र कैलाश चन्द के पक्ष में कर दिया हैं जिसका इन्तकाल भी उनके पक्ष में खुल चुका हैं व सहखतेदार हैं। प्रतिवादी कम–1 लगायत 3 झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं और आये दिन वादी को उसके 1/2 हिस्से की आराजी पर काश्त करने में व्यावधान पैदा करते रहते हैं तथा काश्त नहीं करने दे रहे हैं। जिसका कि प्रतिवादी कम–1 लगायत 3 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वादी को जानकारी हुई है कि प्रतिवादी कम–1 लगायत 3 बिना भूमि का विभाजन कराये उपरोक्त वर्णित समस्त आराजी को बेचान करने पर आमादा हैं और इस संबन्ध में प्रतिवादी कम–1 लगायत 3 ने भूमि के बेचान हेतु भी बातचीत जारी कर दी है। जबकि प्रतिवादी कम लगायत 3 को बिना विभाजन कराये उक्त कृषि आराजी को बेचान करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादी कम लगायत 3 ने वादी को उसके 1/2 हिस्से की कृषि आराजी नर काश्त नहीं करने दिया और बिना विभाजन कराये उक्त कृषि आराजी को रहन व बेचान कर दिया गया तो वादी को अपरिमित तथा अपार क्षति होगी, इस कारण उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में विभाजन का वाद पेश करना आवश्यक हो गया हैं। प्रतिवादी कम लगायत 3 अत्यन्त ही झगड़ालू, लड़ाकू व आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति हैं जो कि ताकत के बल पर वादी के कब्जे व खाते की कृषि आराजी को हड़प करना चाहते हैं और वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर उक्त आराजी पर प्रतिवादी कम लगायत 3 अन्यत्र खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। प्रतिवादी कम–1 लगायत 3 को उक्त कृषि आराजी के 1/2 हिस्स पर काश्त करने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। वादी ने प्रतिवादी कम लगायत 3 दिनाक 09.12.2012 को उक्त कृषि आराजी बिना विभाजन कराये बेचान नहीं करने व वादी के कब्जे में दखल पैदा नहीं करने को कहा तो प्रतिवादी कम लगायत 3 लड़ाई झगड़ा करने को आमादा हो गये और वादी को आराजी के बिना विभाजन के ही बेचान करने की धमकी दी। वादी को दावा पेश करने का वाद कारण प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 द्वारा वादी को दिनाक 0912 2012 को अपने खाते की उक्त आराजी मद सख्या 1 में अंकित कुल रकबा 7.37 हैक्टर के 1/2 हिस्से की भूमि पर काशत करने में व्यवधान पैदा किया तथा बिना विभाजन कराये भूमि का बेचान करने की धमकी दी और बाद में अवैधानिक रूप से अन्यत्र हस्तान्तरित करने व जान से मारने की धमकी देने पर पैदा हुआ। अतः दावा पेश कर विनम्र निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूध निम्न आश्य का निर्णय व डिकी पारित की जावेंः– (अ) कि वादी व प्रतिवादी कम लगायत 3 के मध्य ग्राम फावा की आराजी खसरा नम्बर 73 का रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 का

रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 77 का रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 का रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 158 का रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 161 का रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 का रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 163 का रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 164 का रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 216 का रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 231 का रकबा 0.87 हेक्टर, खसरा नम्बर 284 का रकबा 0.92 हैक्टर, व खसरा नम्बर 342 का रकबा 2.19 हैक्टर कुल कीता 13 कुल रकबा 7.37 हैक्टर जिसका खाता संख्या नया 32 व पुराना 28 हैं का विभाजन किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से की आराजी को अलग किया जाकर अलग खाते दर्ज किये जाने की डिकी पारित की जावे। (ब) स्थायी निषेधाज्ञा इस आश्य की प्रसारित की जावें कि प्रतिवादी कम लगायत 3 वादी को उसके 1/2 हिस्से की कृषि आराजी को काश्त करने से नहीं रोके और न ही किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करें। (स) प्रतिवादी कम–4 को आदेशित किया जावें कि वह पालना रिपोर्ट माननीय न्यायालय में भिजवावें। (द) कि वाद व्यय भी वादी को प्रतिवादी कम लगायत 3 से दिलवाया जावें। (य) कि अन्य जो भी न्यायोचित सहायता माननीय न्यायालय न्यायोचित समझे वह भी वादी को प्रदान करें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2017 को वादग्रस्त भूमि के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक पारित की गई ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री जेर अपील अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही प्रतिवादी अपीलान्ट की अनुपस्थिती में पारित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलान्ट ने पैरवी हेतु वकील साहब नियुक्त कर रखे थे। प्रतिवादी अपीलान्ट के वकील साहब ने प्रतिवादी अपीलान्ट को हर तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने के

लिये मना कर दिया था तथा उक्त वकील साहब ने आवश्यकता होने पर अथवा फैसला होने पर सूचना देने का प्रतिवादी अपीलान्ट के वकील साहब ने प्रतिवादी अपीलान्ट को आश्वासन दिया था। प्रतिवादी अपीलान्ट वकील साहब के भरोसे पर रहा परन्तु उक्त वकील साहब द्वारा प्रतिवादी अपीलान्ट को निर्णय व डिक्री जेर अपील के बाबत कोई सूचना नहीं दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जेर अपील की प्रतिवादी अपीलान्ट को सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 25–7–24 को प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा वकील साहब के पास मुकदमें की तारीख पेशी व मुकदमें की अग्रिम कार्यवाही बाबत सम्पर्क करने पर प्रतिवादी अपीलान्ट के वकील साहब द्वारा प्रतिवादी अपीलान्ट को दिनांक 25–7–2024 को निर्णय व डिक्री जेर अपील के बाबत बतलाने पर हुई। दिनांक 25–7–2024 के पूर्व प्रतिवादी अपीलान्ट को निर्णय व डिक्री जेर अपील के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी। उक्त प्रकार दिनांक 25–7–2024 को प्रतिवादी अपीलान्ट को निर्णय व डिक्री जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी होने पर प्रतिवादी अपीलान्ट ने मालूमात कर निर्णय व डिक्री जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये दिनांक 26–7–2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया था। प्रतिवादी अपीलान्ट को निर्णय व डिक्री जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 29–7–2024 को प्राप्त हुई थी। निर्णय व डिक्री जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपीलान्ट अविलम्ब यह अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है। उक्त अपील निर्णय व डिक्री जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी की तारीख दिनांक 25–7–2024 से निर्णय व डिक्री जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के दिनांक 26–7–24 से निर्णय व डिक्री जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के दिनांक 29–7–24 तक के दिन मुजरा करने पर एंव अपील प्रस्तुत करने में हुई डिले को कन्डौन फरमाने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दिनांक 6–6–2017 से 25–7–24 तक जानकारी की तिथि व दिनाक 26–7–24 से 29–7–24 तक की अवधि को कन्डौन करते हुये अपील अवधि मध्य स्वीकार फमायी जावे। अन्त में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री कानून न्याय एंव तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पो० नं० 1 राम दयाल द्वारा प्रस्तुत विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में अन्तिम निर्णय व डिक्री निम्न आशय की प्रदान करने में त्रुटि की है कि वादी रेस्पो० नं० 1 रामदयाल को ग्राम फावा की खसरा नम्बर 147 की 0–03 हेक्टर, खसरा नम्बर 161 की 0–30 हेक्टर, खसरा नम्बर 162 की 0–52 हेक्टर, खसरा नम्बर 164 की 0–06 हेक्टर, खसरा नम्बर 158 की 0–28 हेक्टर, खसरा नम्बर 231 की 0–87 हेक्टर, खसरा नम्बर 342 की 1–62 हेक्टर जुमला 7 किता की 3–68 हेक्टर भूमि विभाजन में दिये जाने का तथा ग्राम फावा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 73 की 0–22 हेक्टर, खसरा नम्बर 147 की 0–06 हेक्टर, खसरा नम्बर 74 की 0–25 हेक्टर, खसरा नम्बर 77 की 0–03 हेक्टर, खसरा नम्बर 162 की 0–22 हेक्टर, खसरा नम्बर 164 की 0–06 हेक्टर, खसरा नम्बर 216 की 1–35 हेक्टर, खसरा नम्बर 284 की 0–92 हेक्टर, खसरा नम्बर 342 उत्तर की 0–57 हेक्टर जुमला 9 किता की 3–68 हेक्टर भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1

लगायत 3 (प्रतिवादी अपीलान्ट एंव रेस्पो0नं0 2 व 3) को विभाजन में दिये जाने का अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट को लोक अदालत केम्प स्थल खेडा रूद्धा में पत्रावली रखे जाने के सम्बन्ध में प्रतिवादी अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एंव प्रतिवादी अपीलान्ट की अनुपस्थिती में उसे जवाब देही करने व प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट पर आपत्ति करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। लोक अदालत में केवल आपसी सहमति से एवं बरूये राजीनामा ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। लोक अदालत के समक्ष न तो पक्षकारान उपस्थित ने कोई सहमति दी थी और न ही राजीनामा प्रस्तुत किया था। यहां तक कि प्रतिवादी अपीलान्ट दिनांक 6–6–2017 को लोक अदालत केम्प खेडारूद्धा में उपस्थित नहीं था इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट की अनुपस्थिती में निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रामगंजमण्डी को कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन आराजी की प्रस्तावित रिपोर्ट तलब की गई थी। तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी ने स्वयं मौका देखे बिना ही पटवारी हल्का द्वारा पक्षकारान एंवम् प्रतिवादी अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही उनकी अनुपस्थिती में राजस्थान टीनेन्सी बोर्ड ओफ रेवेन्यू रूल्स 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना विधि विरूद्ध रूप से मौका एंव कब्जे की स्थिती के विपरीत तैयार की गई रिपोर्ट को आधार बना कर अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन आराजी का अन्तिम निर्णय व डिक्री प्रदान करने में त्रुटि की है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अवैध एंव त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि खसरा नम्बर 342 की 2–19 हेक्टर भूमि ग्राम फावा तहसील रामगंजमण्डी में स्थित है जिसे वादी रेस्पो० नं० 1 का एंव प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 (प्रतिवादी अपीलान्ट एंव रेस्पो०नं० 2 व 3) का राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में समभाग 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त भूमि अच्छी किस्म की है ज्यादा उपजाउ है अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त खसरा नम्बर 342 की 1–62 हेक्टर भूमि वादी रेस्पो० को 0–57 हेक्टर भूमि प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 3 को विभाजन में दिये जाने का निर्णय व डिक्री प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को उपराक्त भूमि समभाग से वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 को विभाजन में दिये जाने का निर्णय व डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही फरमाया कि खसरा नम्बर 73 की सम्पूर्ण 0–22 हेक्टर, खसरा नम्बर 74 की 0–25 हेक्टर, खसरा नम्बर 77 की 0–03 हेक्टर भूमि जुमला तीन किता की सम्पूर्ण 0–50 हेक्टर भूमि विभाजन प्रातिवादी अपीलान्ट को देने में त्रुटि की है। उपरोक्त भूमि अनउपजाउ है पानी भरा रहता है, काबिल काश्त नहीं है अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि विभाजन में प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3 (प्रतिवादी अपीलान्ट एव रेस्पो० नं0 2 व 3) को देने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त भूमि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एव प्रतिवादी अपीलान्ट एवं प्रतिवादी रेस्पो० नं० 1 व 3 को विभाजन में समभाग से देना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान टीनेन्सी बोर्ड ओफ रेवेन्यू रूल्स 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही निर्णय व डिक्री जेर अपील विरूद्ध प्रतिवादी अपीलान्ट प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का एव मुताबिक कब्जा उपरोक्त भूमि का सहकृषकों के मध्य समभाग

से विभाजन किये जाने का निर्णय प्रदान करना चाहिये। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2018–19(सप्लीमेंट्री) पेज 145, डी.एन.जे.(राज.) 2020(1) पेज 265, आर.बी.जे.(24) 2017 पेज 299, 2023(1) आर.आर.टी. पेज 476, 2023(2) आर.आ.टी. पेज 1044, 2023(1) आर.आर.टी. पेज 585, आर.आर.डी. 1984 पेज 46, 2023(2) आर.आर.टी. पेज 1241, 2017 आर.बी.जे.(24) पेज 299 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय व डिक्री जेर अपील निरस्त किए जाने तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किए जाने का निवेदन किया कि तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करे। अधीनस्थ न्यायालय पक्षकारान को प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट पर आपत्ति करने का एवं शहादत प्रस्तुत करने समुचित अवसर प्रदान कर उभय पक्षों की बहस समाअत कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांटगण के अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने का अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.05.2017 में अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा भी प्रस्तुत किया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 से पूर्व ही अपीलांट की तामील हो चुकी थी अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2017 को पारित निर्णय व डिक्री की अपीलांट को प्रारंभ से ही जानकारी थी, इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा जानबूझकर अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध नियत समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की भलीं–भांति जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर अपील विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य हे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 पारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड एवं मोके पर कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिस पक्षकार का जितना हिस्सा वादग्रस्त भूमि में निहित है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रत्येक पक्षकार को उतने ही हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। किसी भी पक्षकार का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से को प्राथमिक डिक्री में परिवर्तित नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 पक्षकारान के राजस्व अभिलेख में दर्ज हक हिस्से अनुसार ही पारित की गई है जो विधि सम्मत है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के मोके पर कब्जे एवं राजस्व रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधि सम्मत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत अपील अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पेश की है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2015 के विरूद्ध किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 को पारित की गई है। न्यायालय हाजा में अपीलांट द्वारा प्रश्नगत अपील दिनांक 05.08.2024 को पेश की गई है जो मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा लगभग 7 वर्ष विलम्ब से अपील पेश की गई है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2024 की जानकारी दिनांक 25.07.2024 को अपने अधिवक्ता द्वारा बताए जाने पर होने का कथन अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार था तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.05.2017 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वकालतनामा पेश होने का अंकन है। आदेशिका दिनांक 05.12.2013 में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश होने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा संलग्न है जिस पर अपीलांट नरेन्द्र के हस्ताक्षर अंकित है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया है। अतः अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण के सम्बंध में प्रत्येक कार्यवाही की भलीं–भांति जानकारी रही है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 की जानकारी होने के बावजूद भी अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट को प्रत्येक दिवस के विलम्ब का पर्याप्त कारण साबित करना आवश्यक है परन्तु अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए गंभीर विलम्ब का कोई ठोस व पर्याप्त कारण अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं

है। हमारे मत में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज किए जाने योग्य है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 140/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 यथावत रखी जाती है।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा